:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या–4332–4430/भ0नि0बो0(87)–11, दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से ''कौशल विकास, तकनीकि, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना'' अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक 10.12.2014 के माध्यम से अनापत्ति प्रदान करते हुए पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली **''कौशल विकास, तकनीकि, उन्नयन एवं प्रमाणन योजना''**अंतर्गत निम्न संशोधन किए गए हैं–

प्रस्तर–3, पात्रता–

योजना की पात्रता हेतु श्रमिक का बोर्ड द्वारा लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना अनिवार्य है। इस योजनान्तर्गत लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को ही अथवा उनकी पत्नी अथवा उनके ऊपर आश्रित अविवाहित पुत्री, 21 वर्श से कम उम्र के पुत्रों को ही सुलभ हो सकेगा।

परन्तु यह कि यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण के उपरान्त उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा।

योजना को अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के कौशल विकास मिशन के तहत कराया जायेगा।

(एस0डी0 शुक्ल)
सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक – 6729–35/भ0नि0बो0(87)–2014, दिनांक– 15.12.2014

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या–11/1488/छत्तीस–2–14–92/11 दिनांक 10.12.2014 के क्रम में सूचनार्थ।

(राजीव मिश्रा)
सहायक सचिव, बोर्ड।